**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**आर्थिक कार्य विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 34**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है।)**

**भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत में मौद्रिक स्थिरता कायम करना**

**34. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र रावः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दैनिक कार्य़ों में सरकार के हस्तक्षेप के कारण इसकी स्वायत्तता संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत का केन्द्रीय बैंक भारत में मौद्रिक स्थिरता कायम करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य को अदा करने में विफल हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो आरबीआई द्वारा भारत में मौद्रिक स्थिरता लाने के लिए बरती गई सावधानियों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्णन्)**

(क) और (ख): सरकार ने तारीख 31.10.2018 की प्रेस विज्ञप्ति (अनुबंध क) के माध्यम से कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई एक्ट) की रूपरेखा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता गवर्नेंस से जुड़ी एक अनिवार्य और अविवादित आवश्यकता है तथा भारत में सरकारों ने इसे ध्यान में रखा है और इसका सम्मान किया है।

(ग) और (घ): जी, नहीं।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध क**

**वित्त मंत्रालय**

**सरकार का कहना है, आरबीआई अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता गवर्नेंस से जुड़ी एक अनिवार्य एवं अविवादित आवश्यकता है।**

प्रेषितः पीआईबी दिल्ली द्वारा 31 अक्तूबर, 2018 को 12:57 बजे अपराह्न

आरबीआई अधिनियम की रूपरेखा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता गवर्नेंस से जुड़ी एक अनिवार्य एवं अविवादित आवश्यकता है। देश में विभिन्न सरकारों ने इसे ध्यान में रखा है और इसका सम्मान किया है । सरकार एवं केंद्रीय बैंक दोनों ही अपने कामकाज में जन हित और भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से निर्देशित होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अनेक मुद्दों पर विस्तार से सलाह-मशविरा करते हैं। यह बात अन्य विनियामकों के लिए भी सही है। भारत सरकार ने इस तरह के पारस्परिक सलाह-मशविरे की विषय-वस्तु को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया है। केवल अंतिम निर्णयों के ही बारे में जानकारी दी जाती है। सरकार इस तरह से होने वाले सलाह-मशविरा के जरिए विभिन्न मुद्दों पर अपने आकलन को प्रस्तुत करती है और संभावित समाधान सुझाती है। सरकार आगे भी इसी तरह से कदम उठाती रहेगी।

\*\*\*\*\*\*